

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ-22-01/2015/सामा./19

भोपाल, दिनांक 09/05/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण, मध्यप्रदेश,  
निर्माण भवन, भोपाल।
2. परियोजना संचालक,  
लोक निर्माण विभाग,  
पी.आई.यू., निर्माण भवन, भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों एवं भूमि/भवन का हस्तांतरण/आवंटन शासन अनुमति बिना न करने के संबंध में।

—४०७—

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में लेख है कि कई प्रकरणों में देखने आया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों भूमि/भवन का हस्तांतरण/आवंटन की अनुशंसा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये अन्य विभाग को की जाती है, यह स्थिति नियमों के विपरीत है जो उचित नहीं है।


एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों भूमि/भवन एवं अन्य सम्पत्ति की अनुशंसा शासन की अनुमति के बिना न की जाये यदि किसी सम्पत्ति का आवंटन/हस्तांतरण अतिआवश्यक हो तो इसके पूर्व प्रस्ताव विभाग को प्रेषित कर अनुमति प्राप्त किया जाये। इस संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

SE(G)  
15/5/17  
17.05.17

पृ.क्रमांक-एफ-22-01/2015/सामा./19

प्रतिलिपि:-

1. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, .....
2. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि., पी.आई.यू. ....

  
(प्रमोद अग्रवाल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक /05/2017

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

